District in 1986 there were four violent incidents by the National Socialist Council of Nagaland. In Tripura, Nagaland, Manipur and Assam TNV, National Socialist Council of Nagaland and the United Liberation Front of Assam have been active.

(b) and (c) The insurgency situation is reviewed from time to time with State authorities and plans of better arrangements for coordination between different agencies involved in the operations against extremists are discussed/drawn up. Para-military forces are provided to the State Governments and intelligence reports are shared with them to combat the insurgent activities. The provisions of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 and the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 are utilised in consultation with the State Governments concerned to check the activities of extremists.

स्वतंत्रता सैनानी को पेंशन की मंजूरी

694. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 अप्रैल 1985 को प्रकाशित स्वतंत्रता सैनानी राजपत्र में पृष्ठ 234 पर श्री पन्ना लाल जोहरी का नाम स्वतंत्रता सैनानी के रूप में प्रकाशित हुआ था किन्तु मंत्रालय ने इस स्वतंत्रता सैनानी को अब तक कोई पेंशन नहीं दी है, हालांकि भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन्हें ताम्र पत्र प्रदान कर सम्मानित किया था ; और

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर हां हो तो, इस स्वतंत्रता सैनानी को अब तक पेंशन न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी हां, श्रीमन् दिल्ली प्रशासन की "राजपत्र यूनिट" द्वारा प्रकाशित दिल्ली के स्वतंत्रता सैनानी कौन क्या है, खण्ड (II) के दूसरे खण्ड के पृष्ठ 234 पर उनका नाम है। 1972 में पेंशन योजना लागू होने से पहले दिल्ली प्रशासन ने राजनैतिक पीडितों का एक रजिस्टर रखा था जिनमें से कुछों को राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन की सिफारिश पर "ताम्र पत्र" प्रदान किये गये थे ।

(ख) केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना 1972 और स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के उपबन्धों के अनुसार जो व्यक्ति स्वयं को पात्र समझते थे, को आवेदन करना और अपनी यातनाओं के दावों के समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक था । राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन मामले में अपने अभिकरणों द्वारा आवश्यक जांच/सत्यापन करते है और गृह मंत्रालय को विचार करने के लिये अपनी रिपोर्ट/सिफारिश भेजते हैं । श्री जौहरी ने 1972 में पेंशन के लिये आवेदन किया । दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी राहत समिति ने 11-1-1977 को सर्वसम्मति से निर्णय किया कि श्री जोहरी पेंशन के लिये अर्हता प्राप्त नहीं है । समिति ने 24-10-1981 और पुन: 28-4-1982 को उनके मामले की जांच की लेकिन अपने पहले के निर्णय को कायम रखा ।

Voluntary retirement from service by former foreign secretary

695. SHRI YALLA SESI BHUSHANA RAO:
PROF. C. LAKSHMANNA:
SHRI N. E. BALARAM:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the circumstance leading to the sudden resignation from service of the former Foreign Secretary in January, 1987; and

(b) whether this incident has led to demoralisation among the senior officials of the Government?